न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 178/2024 अपील (GCMS 2024/226)
पंजीयन दिनांक- 18/09/2024
निर्णय दिनांक- 26/12/2025

1. श्री शांतिलाल पिता नाथूलाल शर्मा, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
2. श्री टिपुलाल पिता नाथूलाल शर्मा, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री बाबूलाल मुतबन्ना मन्ना ब्राह्मण, निवासी टीकर, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री सम्पतलाल बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद के
प्रकरण संख्या 126/2017 निर्णय दिनांक 07.06.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 26/12/2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 126/2017 निर्णय दिनांक 07.06.2024 के

विरूद्ध दिनांक 18.09.2024 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा टीकर, तहसील आमेट में साबिक आराजी नम्बर 422, 423, 59, 1200 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा में अपीलांट्स के पिता नाथू पिता चमना का नाम दर्ज था तथा नाथू का देहावसान हो गया था, जिसके 2 पुत्र अपीलांट्स है एवं बाबूलाल मन्नालाल के गोद चला गया था। इस कारण नाथूलाल का संपत्ति में बाबूलाल का कोई हक व अधिकार नही है तथा पैमाईश से पुर्व नाथू पिता चमना ब्राह्मण का नाम दर्ज था व पैमाईश के बाद जमाबंदी से नाथूलाल पिता चमना का नाम राजस्व अधिकारियों की गलती से हट गया, जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था एवं पैमाईश के बाद नवीन आराजी नम्बर 73, 374, 1693, 1694 से 1700, 1702 कुल किता 11 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर बने है। अपीलांट्स के पिता का नाम साबिक आराजीयात में दर्ज था, परंतु हाल पैमाईश में नाम हटा दिया गया है, जिसके इन्द्राज दुरूस्त कर पूर्वानुसार नाम दर्ज कराया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 126/2017 निर्णय दिनांक 07.06.2024 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.06.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद है कि उक्त साबिक आराजी नम्बर नाथुलाल की खातेदारी भूमि नहीं होकर नाथुलाल राहिन था।***

छगनी बेवा मन्ना सेटलमेंट से पूर्व पुजारी सरबराकार दर्ज थी, जिसे भू-प्रबंध में उपकृषक दर्ज कर दिया गया। नाथुलाल का नाम सेटलमेंट से पूर्व से भी नही होने से पुनः दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 19.12.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत है। साबिक आराजी नम्बर 422, 423, 59 एवं 1200 की भूमि को खरीद के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नामांतरकरण संख्या 176 दिनांक 02.09.1976 से नाथू पिता चमना के नाम दर्ज हुई, जिसका दाखला 2029 से 2032 की जमाबंदी में लगा हुआ था, जिसके बाद नई पैमाईश से नाथू का नाम हटा दिया गया। वादग्रस्त भूमि में पैमाईश से पूर्व अपीलांट्स के पिता नाथू का नाम दर्ज था तथा इस इन्द्राज से पूर्व राहिन के रूप में भी नाथू का नाम दर्ज था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैमाईश से पूर्व व पैमाईश के बाद की जमाबंदी तथा मिलान क्षेत्रफल आदि उपलब्ध थे। उक्त तथ्य रेकर्ड से स्पष्ट थे, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व रेकार्ड का अलवोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेंट विभाग को केवलमात्र तीन परिस्थिति में ही पैमाईश के दौरान इन्द्राज बदल सकते है वह सक्षम न्यायालय का आदेश, उत्तराधिकार एवं हस्तांतरण हो, परंतु इस प्रकरण में तीनों ही आधार मौजूद नही थे। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RBJ 2022 Page 389, RBJ 2024 Page 749, RRT 2009 Page 954, RRT 2013 (1) Page 391, RRT 2015 (1) Page 451, RBJ 2001 Page 170, RBJ 2002 Page 332 & 334, RBJ 2006 Page 205 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद द्वारा दिनांक 07.06.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील में मयाद कंडोन की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा टीकर, तहसील आमेट में साबिक आराजी नम्बर 422, 423, 59, 1200 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा में अपीलांट्स के पिता नाथू पिता

चमना का नाम दर्ज था तथा नाथू का देहावसान हो गया था, जिसके 2 पुत्र अपीलांट्स है एवं बाबूलाल मन्नालाल के गोद चला गया था। इस कारण नाथूलाल का संपत्ति में बाबूलाल का कोई हक व अधिकार नही है तथा पैमाईश से पुर्व नाथू पिता चमना ब्राह्मण का नाम दर्ज था व पैमाईश के बाद जमाबंदी से नाथूलाल पिता चमना का नाम राजस्व अधिकारियों की गलती से हट गया, जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था एवं पैमाईश के बाद नवीन आराजी नम्बर 73, 374, 1693, 1694 से 1700, 1702 कुल किता 11 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर बने है। अपीलांट्स के पिता का नाम साबिक आराजीयात में दर्ज था, परंतु हाल पैमाईश में नाम हटा दिया गया है, जिसके इन्द्राज दुरूस्त कर पूर्वानुसार नाम दर्ज कराया जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 126/2017 निर्णय दिनांक 07.06.2024 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी, खाखरमाला अनुसार राजस्व ग्राम टीकड के साबिक आराजी नम्बर 422, 423, 59, 1200 कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा की भूमि संवत् 2027-2032 की जमाबंदी में श्री कोटेश्वर महादेवजी स्थान देह के नाम पर दर्ज थी एवं मु. छगनी बेवा मन्ना ब्राह्मण सा. देह पुजारी सरबराकार के रूप में दर्ज थी तथा श्री नाथू पिता चमना ब्राह्मण राहिन दर्ज था, जो नामांतरकरण संख्या 203 से निरस्त हो गया। भू-प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक अनुसार साबिक आराजी नम्बर 422, 423, 59, 1200 कुल किता 4 के नये नम्बर 374, 73, 1693, 1694 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702 बने है तथा भू-प्रबंध की जमाबंदी में भी पूर्व जमाबंदी अनुसार श्री कोटेश्वर महादेवजी स्थान देह खातेदार मु. छगनी बेवा मन्ना ब्रह्मण सा.

देह उपकृषक दर्ज किया गया है। साबिक आराजी नम्बर नाथू की खातेदारी भूमि नहीं थी बल्कि नाथूलाल राहिन दर्ज था। छगनी बेवा मन्ना सेटलमेंट के पूर्व पुजारी सरबराकार दर्ज थी, जिसे दौराने सेटलमेंट उपकृषक दर्ज किया गया था। इस प्रकार पटवारी, खाखरमाला की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रकरण में वर्णित आराजीयात भू-प्रबंध की जमाबंदी में भी पूर्व जमाबंदी अनुसार श्री कोटेश्वर महादेवजी स्थान देह खातेदार मु. छगनी बेवा मन्ना ब्रह्मण सा. देह उपकृषक दर्ज किया गया है। साबिक आराजी नम्बर नाथू की खातेदारी भूमि नहीं थी बल्कि नाथूलाल राहिन दर्ज था, जो नामांतरकरण संख्या 203 से निरस्त हो चुका है।

हस्तगत प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जाना उचित होगा जो निम्न प्रकार है ।

"136- Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any revenue officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties."

उक्त धारा 136 के अवलोकन करने से भी यही आशय पाया जाता है कि कोई लिपिकीय अशुद्धि अथवा ऐसी अशुद्धि जिसे पक्षकार स्वयं गलती होना स्वीकार करते है अथवा **राजस्व अधिकारियों के द्वारा रिकार्ड अभिलेख के निरीक्षण के दौरान कोई गलती होना पाया जाए तो ऐसी गलतियों को संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दुरूस्त किया जा सकता है।** पत्रावली का

अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जांच की कार्यवाही की गई। प्रकरण में राजस्व अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा जांच के आधार पर न्यायालय यहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट के द्वारा प्रकरण में आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। जहां तक अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में अपनाई गई विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय में अभिलेखों पर प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे शुद्वि करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां धारा 151, 152 सीपीसी में भी प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी (भू-अभिलेख अधिकारी) को धारा 136 व 131 के तहत वह समस्त शक्तियां प्रदान है, जिसमें वह राजस्व अभिलेखों में त्रुटि परिलक्षित होने पर वह स्वप्रेरणा से भी त्रुटि सुधार कर सकता है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि कारित की है।

जहां तक गुणावगुण पर प्रकरण पर विवेचन किये जाने का प्रश्न है, यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश में अंकित विनिश्चय का पूर्णतया समर्थन करता है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हाल पैमाईश में अपने पिता का नाम हट जाने से पुनः दर्ज कराने की दाद चाही गई थी, जो विधि अनुकुल नही होने से अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2024 को पारित किया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में नहीं होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। **परिणामतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।** अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला राजसमंद का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर